न्यायालय रेवेन्यु बोर्ड महोदय ग्वालियर

निगरानी 781-I-15

1. किशनसिहं पुत्र घूमनसिहं यादव
निवासी सिंगपुर
2. श्रीराम पुत्र घूमनसिहं यादव नि.सिंगपुर
तह0 ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0

निगरानीकर्ताजन

वनाम

1. रूपसिहं पुत्र गजराजसिहं
2. राजासिहं पुत्र गजराजसिहं
3. सुखवीरसिहं पुत्र गजराजसिहं समस्त
जाति यादव समस्त निवासीजन सिंगपुर
तह0ईसागढ़ जिला अशोकनगर म0प्र0
जीवनसिहं पुत्र घूमनसिहं यादव
(औपचारिक पार्टी)
निवासी सिंगपुर तह0ईसागढ़

(प्रतिनिगरानीकर्ताजन)

श्री एम०एस० चौहान को द्वारा आज दि. 15-4-15 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी

निगरानी अधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

निगरानी विरूद्व आदेश अधीनस्थ न्यायालय के श्रीमान अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर कैम्प गुना उनके प्र0क्रं0 50 अपील एवं 51 अपील 96/97 उनके संयुक्त आदेश दिनांक 05.09.03 के विरूद्व है ।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ताजन की ओर से निगरानी सादर निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।

1. यहकि भूमि ग्राम वमनावर के सर्वे क्रं.26 रकवा 1.086 है, सर्वे नं.57 रकवा 0.961 है., सर्वे

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 781–एक/2015 जिला अशोकनगर

किशनसिंह आदि विरूद्ध रूपसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 50/अपील/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 05–09–2003 के इस न्यायालय में दिनांक 15–4–15 को विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक ने विलम्ब के संबंध में तर्क किया कि आवेदक को अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि अपर आयुक्त के आदेशकोनोट नहीं करायागया। न ही अभिभाषक ने आदेश की जानकारी दी। नायब तहसीलदार ईसागढ ने बटवारे कार्यवाही के बुलाया तब अपर आयुक्त के आदेश की जानकारी हुई। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–9–2003 के विरूद्ध लगभग 12 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश पारित किया था। 12 वर्ष किसी न्यायालय के आदेश की जानकारी नहीं होने के संबंध में आवेदक कोई कारण नहीं बतला सके। इसके अतिरिक्त आवेदक	

ने अवधि विधान की धारा 5 में ऐसा कोई आधार नहीं बतालाया है जिससे विलम्ब को सदभाविक माना जा सके। विलम्ब के संबंध में दिन–प्रति–दिन का समाधानकारक कारण दर्शाने के बाद ही उसे क्षमा किया जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी समयबाधित होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य